


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 (श्रीमती) विजय लक्ष्मी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नसरीगंज, रोहतास के विरुद्ध लंबे समय से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प 626(9) दिनांक 15.05.06, संशोधित संकल्प सं0 305(9) दिनांक 04.04.07 एवं 668(9) दिनांक 5.06.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है। डा0 (श्रीमती) विजयलक्ष्मी दिनांक 28.02.2010 को सेवा निवृत्त हो गई है।

अतः डा0 (श्रीमती) विजयलक्ष्मी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संपरिवर्तित किया जाता है।

आदेश :- संकल्प की प्रति डा0 (श्रीमती) विजयलक्ष्मी एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।


(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 276(9)


/स्वा0, पटना, दिनांक: 30/3/2015

प्रतिलिपि :- डा0 (श्रीमती) विजय लक्ष्मी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नसरीगंज, रोहतास (संप्रति सेवानिवृत्त) पता-द्वारा डा0 अशोक कुमार, At+Po दलिपपुर, जिला-भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सिविलि सर्जन, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,